

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्राक-942/मीरजापुर/ 15, दिनांक, मीरजापुर सितम्बर 5 2018।

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड, द्वितीय,
एस-14/74ए-2, अन्धरा का पुल, वाराणसी।

विषय-

जनपद मीरजापुर के मीरजापुर वन प्रभाग अन्तर्गत 400 के०वी० अनपरा-वाराणसी विद्युत लाइन के निर्माण हेतु (319.28 हे० में से) 37.51 हे० वन भूमि का 30 वर्षों हेतु उ०प्र०रा०वि० परिषद (उ०प्र० पावर ट्रांशमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड, वाराणसी) को दी गयी लीज के नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव।

संदर्भ-

आप द्वारा प्रेषित आन लाइन प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/ट्रांशमिसन/32650/2018।

महोदय,

विषयक के प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या 17/11-सी, लखनऊ दिनांक 04.07.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयीं चेकलिस्ट के अनुसार प्रस्ताव में आपके स्तर से निम्न सूचना/अभिलेख अपेक्षित है।

- 1- प्रस्ताव के साथ संलग्न 1:50000 माप का सर्वे आफ इण्डिया का मैप रिड्यूज कराकर लगाया गया है। जो मानक के अनुसार नहीं है।
- 2- यदि भूमि लीज पर दी जानी हो तो जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित वन भूमि का मूल्य लीज रेंट व प्रीमियम का निर्धारण संलग्न नहीं है।
- 3- प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शिड्यूल।
- 4- परियोजना के स्वीकृति/नवीनीकरण का शासनादेश/आदेश।
- 5- परियोजना के नवीनीकरण के औचित्य के सम्बन्ध में (जस्टीफिकेशन नोट) प्रमाण पत्र।
- 6- क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/बचन बद्धता।
- 7- क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का जिओ रिफरेंस डिजिटल मैप जो के०एम०एल० एस०एच०पी० फाइल में हो, सी०डी० सहित।
- 8- क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का लीजेंट एवं शीर्षक सहित चिन्हित 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र।
- 9- वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत उप उप जिला स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति से पारित मूल प्रस्ताव तथा निर्धारित प्रारूप में जिलाधिकारी महोदय का तिथि मुहर तथा नाम सहित प्रमाण पत्र।

परियोजना से भिन्न अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित करें कि क्षेत्रीय वन अधिकारी चुनार एवं सुकृत के साथ मौके का संयुक्त निरीक्षण कर परियोजना से प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शिड्यूल निर्धारित प्रारूप में तथा प्रभावित वृक्षों की गणना का कार्य पूर्ण करावें।

अवधि-

५५

(राकेश चौधरी)

प्रभागीय वनाधिकारी

मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर

संख्या- 942 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय वन अधिकारी चुनार एवं सुकृत को प्रस्ताव की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि प्रस्ताव का परीक्षण कर मौके की स्थिति के अनुसार लैण्ड शिड्यूल निम्न प्रारूप प्रभावित आराजियातों का गजट में चिन्हीकरण कर गजट की चिन्हित प्रति सहित उपलब्ध करावें।

क्र०सं०	रेंज का नाम	ग्राम का नाम	बोट का नाम	कम्पार्टमेंट	प्रभावित वन भूमि की ल०, चौ०	प्रभावित वन भूमि की आराजी, गजट के अनुसार	प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे०)	वन भूमि का प्रकार

- 2- परियोजना से प्रभावित वृक्षों की प्रजातिवार, व्यासवार, गणना रिपोर्ट।
- 3- परियोजना से प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि का सर्कुलर जी०पी०एस० पालीगॉन।
- 4- प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करें।

५५

(राकेश चौधरी)

प्रभागीय वनाधिकारी

मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर